E-Mail: sugandh.cbse@gmail.com
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23220155
23220083

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रायल, भातर सरकार, के अधीन एक स्वयत्ता संगठन)
शिक्षा सदन, 17 इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, नई दिल्ली - 110002

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An autonomous Organization Under the Union Minsitry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17 Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002

के.मा.शि.बो./शै./अ.नि.(अ.एवं न.)/2015 | परिपत्र संख्या. शैक्षणिक-70/2015

दिनांक 23 अक्टूबर 2015

विषय: दिनांक 27 अक्टूबर 2015 को विश्व दृश्य-श्रव्य विरासत दिवस के रूप में मनाना-'सरकारी अभिलेख खतरे में: विश्व की पहचान का बचाव।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक,वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने दृश्य-श्रव्य माध्यम यथा फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, फोटोग्राफ प्रिन्ट (छपाई) इत्यादि की विरासत के संरक्षण के लिए दिनांक 27 अक्टूबर 2015 को विश्व दृश्य- श्रव्य दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है, इसके लिए दृश्य-श्रव्य सामग्री यथा ध्वनि रिकार्डिंग और छायांकन के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करनी है। प्रथम विश्व दृश्य-श्रव्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर 2007 को मनाया गया था।

In support of

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन

दृश्य श्रव्य विरासत के लिए विश्व दिवस

तकनीकी ने एक बहुत बड़ी छलांग लगायी है, आज कोई भी सामान्य जन जेबी मोबाइल से रंगीन चलचित्र तैयार कर सकता है और संसार के किसी भी भाग मे भेज सकता है। लेकिन एक पीढ़ी पूर्व में एक सामान्य मोबाइल भी अकल्पनीय सपना जैसा था।

हमारे जीवन और विश्व, जिसमें हम रह रहे है के गतिमान दृश्य और आवाज की रिकार्डिंग संरक्षण के योग्य हैं। ये हमें यह अंतरदृष्टि देते हैं कि लोगों ने क्या किया, उनकी भेषभूषा कैसी थी, उनके परिहास, मनोरंजन के कारण क्या थे। दुर्भाग्यवश उनकी महत्ता की पहचान नहीं हो पाती है। पूर्व में फिल्म व ध्वनि रिकार्डिंग का अधिकांशत: तिरस्कार या क्षरण होता था, और वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाती थी। हमारी दृश्य-श्रव्य विरासत हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन अधिकांशत: इसे नाममात्र के रूप में लिया जाता है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समझता है कि दृश्य–श्रव्य की विरासत, हमारे जीवन की विरासत का महत्त्वपूर्ण भाग है, और प्रत्येक को सर्वत्र प्रेरित करता है कि हमारी इस अमूल्य धरोहर के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाकर दिनांक 27 अक्टूबर को आयोजन में सम्मिलित हों ताकि भावी पीढ़ी निम्न तरह से इस खजाने का आनन्द ले:

- बीते समय की फिल्मों का प्रदर्शन कर विद्यार्थियों के लिए देश की संस्कृति और इतिहास सजीव करना
- जागरूकता को बढ़ावा देना और देश की दृश्य-श्रव्य विरासत के संरक्षण में सम्मिलित होना।
- विविध राज्यों और संसार के देशों की दृश्य-श्रव्य विरासत को देखकर तथा सुनकर, विविधता, सहनशीलता, आपसी समझदारी, शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना।
- भूतकाल और वर्तमान को समझते हुए, विद्यार्थियों को अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करना
- स्वयं की दृश्य-श्रव्य विरासत का लाभ प्राप्त करने और खोजने के लिए उन्हें सज्जित करना।

विद्यालय कई रोचक और चुनौतीपूर्ण अवसरों के साथ इसे मना सकते हैं:

फोटोग्राफों का डिज़ीटाइजेशन: विद्यार्थी अपने पूर्व विद्यालय/स्थानीय ग्राम/शहर की तस्वीर जो उनके पास उपलब्ध हों को फोटो एडिटिंग साफ्टवेयर का प्रयोग कर इसके प्रिन्ट को भी तैयार कर सकते हैं।

सदा के लिए चलचित्र (फिल्म): सत्यजीत रॉय, बिमल रॉय, गुरु दत्त अकीरा कुरुसोवा, इंगमार वर्गमैन, सर्गेई एम इसनेसन, फेडरिको फेलिनी जैसे ख्यातिप्राप्त निर्देशको के शास्त्रीय चलचित्रों का साप्ताहिक प्रदर्शन का आयोजन करना। यदि आवश्यक हो तो पूर्व अनुमति प्राप्ति की जाए, माता-पिता को भी आमंत्रित किया जा सकता है

एशिया की विरासत का महोत्सव: विद्यार्थी लोकगीत, शास्त्रीय संगीत और नृत्य को प्रस्तुत करके एशिया की विविधता को प्रस्तुत कर सकते हैं।

हस्त रंगे पोस्टर: फ्लेक्स पोस्टर, डिजीटल प्रिन्ट के काल से पूर्व की तरह विद्यार्थी स्वयं की फिल्म के पोस्टर तैयार कर सकते हैं।

विद्यालय इन कार्यकलापों का कक्षाओं के तीन समूहों, VI से VIII, IX-X, और XI-XII, में 12 जनवरी, 2016 को राष्ट्रीय युवा दिवस तक आयोजन कर सकते हैं, और दृश्य-श्रव्य विरासत समारोह 2016 के रूप में समाप्त कर सकते हैं। अधिक कार्यकलापों के विचारों के लिए संलग्नक एक का अवलोकन करें। आप इन कार्यकलापों निम्न प्रकार से कर सकते हैं:

- जागरूकता के लिए अन्तर हाऊस/कक्षा/सभा कार्यकलाप
- पूर्व स्तरों पर प्राप्त जानकारी को अंगीकार करने के लिए अन्तर हाऊस/कक्षा प्रतियोगिता का आयोजन
- औपचारिक आकलन के लिए परस्पर शिक्षण संबंधी परियोजना

विद्यालय एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर, इन दृश्यों के छायांकन की सीडी सहित, 30 जनवरी 2016 तक श्रीमती नेहा शर्मा उप निदेशक (इ&आर) के.मा.शि.बो. 17 राउज एवेन्यु दिल्ली को भेज सकते हैं। दृश्य-श्रव्य विरासत के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने पर प्रत्येक क्षेत्र के चयनित विद्यालयों को 'प्रशंसा प्रमाण पत्र' प्रदान किए जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए कृपया दूरभाष संख्या 011-2323779 या ई-मेल dydirer.cbse@gmail.com पर संपर्क करें।

बोर्ड आशा करता है कि ये आकर्षक और महत्त्वपूर्ण कार्यकलाप युवावर्ग को उनके दृश्य-श्रव्य विरासत से जोड़ने में सहयोगी होंगे।

सुगंध शर्मा
अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

संलग्नक 1

दृश्य-श्रव्य कार्यकलापों के आयोजन करनेके लिए कुछ अन्य विचार व मार्गदर्शन

- घरेलू स्तरपर मुरम्मत पुरानी घरेलू पत्रिकाएं डायरी फोटो और अन्य सामग्री को क्रमवार लगाना तथा सामग्री का उमस अधिक तापमान, और धूल से बचाव को सुनिश्चित करना भाषण प्रतियोगिता पेहली विचार वितर्श और प्रस्तुतीकरण संरक्षण क्षेत्रीय जानकारी और दस्तावेजीकरण के लिए।
- स्थानीय कहानियों नृत्य और संगीत के रिकार्डिंग द्वारा स्थानीय क्षेत्र की दृश्य-श्रव्य विद्यालय के बारे में जानकारी को अद्यतन कर भारत की दृश्य-श्रव्य विरासत के बारे में जागरुकता पैदा करने हेतु सामाजिक माध्यमों के अभियान तैयार करना।
- 'हमारे समय के' विद्यार्थी पर कार्यशाला का आयोजन हो शिक्षकों को अब वे युवाओं के बारे में ठेठ दिवस का प्रदर्शन, साथ ही रंगमंच पहनावा दृश्य श्रृव्य से संबंधित जानाकरी।
- 'यह क्या है' पर कार्यशाला आयोजित करें विद्यार्थियों को प्राचीन दृश्य-श्रव्य विरासत (पुराने दृश्य के टेप/ग्रामोफोन रिकार्ड/वाकमैन/टेप रिकार्डर/VCR टेप यहाँ तक कि पुराने शटर का गैर रंगीन टेलीविजन यदि कोई हो) को किसी विशेषज्ञ (अजायबघर इत्यादि या बुजर्ग) द्वारा जांच पड़ताल या विचार विमर्श के लिए बुलाना चाहिए।
- पारम्परिक विचारों, नृत्य गान और कुछ पुराने विद्यालयों को प्रस्तुत करते हुए संगीत गायन या अन्य तरह का समारोह निष्परित करें। इसके लिए कार्यशाला या SPICMACAY का आयोजन कर सकते है, इस संदर्भ में बोर्ड के परिपत्र संख्या 50/10/18-8-2010 का अवलोकन करें।